भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.5428

दिनांक 05 अप्रैल, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

नया चाय अधिनियम

5428. **श्री पल्लब लोचन दासः**

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रस्तावित नए चाय अधिनियम की वर्तमान स्थिति सहित भारत में चाय क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए किए गए सुधारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने नए चाय अधिनियम पर हितधारक परामर्श पूरा कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विपणन और संवर्धन में चाय बोर्ड की भूमिका बढ़ाने का औचित्य क्या है; और

(ङ) चाय क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ) : चाय क्षेत्र का संवर्धन और विकास करने के लिए सरकार द्वारा किए गए सुधारों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) भारत में उत्पादित कुल चाय में लगभग **52%** का योगदान करने वाले छोटे चाय उत्पादकों को वित्तीय सहायता के लिए विकास स्कीमों में केंद्र बिंदु बनाया गया है।

(ii) व्यवसाय करने में सुगमता के एक भाग के रूप में पंजीकरण/लाइसेंसों के नवीकरण की आवधिकता बढ़ाई गई है और ऐसे आवेदनों के प्रारूप को सरल बनाया गया है।

(iii) वित्तीय सहायता और पंजीकरण/लाइसेंस प्रदान करना ऑनलाइन कर दिया गया है।

(iv) बेहतर मूल्य खोज के लिए चाय नीलामी के नियमों में सुधार किया गया है

(v) स्थापना लागत को कम करने के लिए चाय बोर्ड की जनशक्ति की संख्या पर पुनः कार्य किया गया है।

मसौदा चाय (संवर्धन और विकास) विधेयक, 2022 का उद्देश्य टी बोर्ड का पुनराभिन्यास करना है ताकि यह चाय क्षेत्र (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में भारतीय चाय के प्रचार सहित) के समग्र संवर्धन और विकास में और अधिक सुविधाप्रदायक भूमिका निभा सके और कार्य कर सके । मसौदा चाय (संवर्धन और विकास) विधेयक, 2022 को 10.01.2022 से तीन महीने के लिए सार्वजनिक डोमेन (वाणिज्य विभाग और चाय बोर्ड की वेबसाइट) पर रखा गया था और राज्य सरकारों, एसोसिएशनों, संगठनों और आम जनता सहित 101 हितधारकों से टिप्पणियां/सुझाव प्राप्त हुए। इसके अलावा, अंतर-मंत्रालयी परामर्श किया गया है।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.5424

दिनांक 05 अप्रैल, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

फार्मा निर्यात

5424. श्रीमती माला रायः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय फार्मा कंपनियों की भारत से आयातित उत्पादों यथा मिलावटों कफ सीरप / घटिया वस्तुओं संबंधी घटनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है:
(ख) यदि हां, तो आयातकों का विश्वास बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(ग) इन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है / की जा रही है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख)**:** विदेशों में भारतीय मिशन औषध विनियामक एजेंसियों के अन्तर्गत विश्वास बनाए रखने के लिए प्राधिकारियों के साथ नियमित बातचीत कर रहे हैं। विश्वास बनाए रखने और व्यापार की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (फार्मेक्सिल) ने अफ्रीकी और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल (सीआईएस) देशों में व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया है और औषध विनियामक एजेंसियों और फार्मा व्यापारिक संघों के साथ एक-एक करके चर्चा की है और उन्हें भारतीय जेनेरिक उत्पादों की गुणवत्ता का आश्वासन दिया है। फार्मेक्सिल गुणवत्ता प्रबंधन पर निर्यातकों को संवेदनशील बनाने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों और उनके अनुपालनों से अवगत कराने के लिए कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन कर रहा है।

(ग): गाम्बिया और उजबेकिस्तान को निर्यात किए गए उत्पादों में पाई गई कफ सीरप अपमिश्रण/अवमानक वस्तुओं संबंधी हाल की दो घटनाओं में निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:

(i) गाम्बिया के मामले में, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा राज्य औषध नियंत्रक, हरियाणा के समन्वय से मैसर्स मेडेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, सोनीपत (हरियाणा) के विरुद्ध एक संयुक्त जांच की गई थी और क्षेत्रीय औषध परीक्षण

प्रयोगशाला (आरडीटीएल), चंडीगढ़ द्वारा परीक्षण और विश्लेषण के लिए औषधियों के नियंत्रण नमूने लिए गए थे। आरडीटीएल चंडीगढ़ ने नमूनों को मानक गुणवत्ता वाले और डायथिलीन ग्लाइकोल (डीईजी) और एथिलीन ग्लाइकोल (ईजी) दोनों के लिए नकारात्मक घोषित किया है। तथापि, अच्छी विनिर्माण पद्धतियों में पाए गए उल्लंघनों के आधार पर राज्य औषध नियंत्रक, हरियाणा ने दिनांक 11.10.2022 को मैसर्स मेडेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को लोकहित में सोनीपत में सभी विनिर्माण गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश जारी किया है।

(ii) उजबेकिस्तान के मामले में, सीडीएससीओ ने राज्य औषधि नियंत्रक, उत्तर प्रदेश के समन्वय से मैसर्स मैरियन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा (उ.प्र.) की एक संयुक्त जांच की और आरडीटीएल, चंडीगढ़ द्वारा परीक्षण और विश्लेषण के लिए विनिर्माण परिसर से ड्रग के नमूने एकत्र किए। फर्म के विनिर्माण लाइसेंस को दिनांक 09.01.2023 को राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया था। आरडीटीएल, चंडीगढ़ ने अब तक 30 ड्रग नमूनों की जांच रिपोर्टें अग्रेषित की हैं, जिनमें ड्रग्स/कच्चे माल के 24 नमूनों को "मानक गुणवत्ता का नहीं" घोषित किया गया था जिनमें से 22 नमूने अपमिश्रित/नकली की श्रेणी में आते हैं।

*****

भारत सरकार लोक सभा
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अतारांकित प्रश्न सं.5363
वाणिज्य विभाग

दिनांक 05 अप्रैल, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

एसईजेड अधिनियम

5363. श्रीमती भावना गवली (पाटील):
श्री कृपाल बालाजी तुमाने:
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का राज्य को उद्यम विकास और सेवा क्षेत्रों में भागीदारी के लिए सक्षम बनाने हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) अधिनियम में संशोधन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या मौजूदा सभी प्रमुख क्षेत्रों और नए औद्योगिक परिक्षेत्रों में उपलब्ध अवसंरचना के इष्टतम उपयोग और निर्यात में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने एसईजेड के सीमा शुल्क प्रशासन में सुधार करने का प्रस्ताव किया है, जिसके फलस्वरूप यह पूरी तरह से आईटी संचालित होगा और इसके सीमा शुल्क राष्ट्रीय पोर्टल पर काम करने की संभावना है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और
(ङ) सरकार द्वारा देश में एसईजेड के विषय में अन्य क्या सुधार किए जा रहे हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) जैसा कि केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषणा की गई है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 को एक नए विधायन से प्रतिस्थापित किया जाएगा जो राज्य सरकारों को उद्यम और सेवा केंद्रों के विकास में भागीदार बनने में सक्षम बनाएगा। यह उपलब्ध अवसंरचना का इष्टतम उपयोग करने और निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए सभी बड़े मौजूदा और नए औद्योगिक परिक्षेत्रों को कवर करेगा। वर्तमान में इस विधायन पर अंतर-मंत्रालयी विचार-विमर्श चल रहा है।

(ग) और (घ) यह परियोजना प्रायोगिक आधार पर एमईपीजेड सेज, चेन्नई और जीआईएफटी एसईजेड, गांधीनगर में कार्यान्वित की जा रही है। इस प्रयोग के सफलतापूर्वक पूरा होने पर इसका कार्यान्वयन सभी क्षेत्रों में किया जाएगा।

(ङ) एसईजेड सुधार एक सतत् प्रक्रिया है और एसईजेडों की नीति तथा प्रचालनात्मक ढांचे के संबंध में स्टेकहोल्डरों से प्राप्त इनपुट/सुझावों के आधार पर सरकार एसईजेड अधिनियम/नियमों के सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए आवधिक रूप से आवश्यक उपाय करती है। एसईजेड विकासकों/इकाइयों के लिए व्यवसाय करने में सुगमता बढ़ाने के लिए कई उपाय आरंभ किए गए हैं जैसा कि अनुबंध में दिया गया है।

****

अनुबंध

दिनांक 5 अप्रैल, 2023 को उत्तर के लिए लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 5363 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

एसईजेड में व्यवसाय करने में सुगमता बढ़ाने के उपाय:

1. डीओसी ने दिनांक 28.01.2019 को एन्क्लेव के लिए "डी-नोटिफिकेशन" प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने और केवल एसईजेड उद्देश्य के लिए इसके वर्तमान अनिवार्य उपयोग को डीलिंक करने के संबंध में पत्र लिखा।

2. निवल विदेशी मुद्रा अर्जन मानदंडों के लिए गणना की विधि की समीक्षा की गई और दिनांक 07.03.2019 की अधिसूचना द्वारा संशोधित की गई ।

3. आईटी/आईटीईएस एसईजेड इकाइयों के कर्मचारियों को घर पर कार्य करने की अनुमति देने के लिए 7 मार्च, 2019 को एसईजेड नियमों में संशोधन किया गया।

4. एसईजेड के लिए सेवाओं की एक समान सूची से संबंधित निर्देश संख्या 94 दिनांक 08.05.2019, इनपुट सेवाओं की एक विस्तृत सूची जिसका उपयोग एसईजेड इकाइयों द्वारा उनके दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए किया जा सकता है, जिससे इकाइयों को ऐसे प्रत्येक उदाहरण के लिए विकास आयुक्तों की अनुमति लेने की आवश्यकता से बचा जा सके।

5. एसईजेड इकाइयों को अनुमति प्राप्त कैफेटेरिया, व्यायामशाला, शिशुगृह और इसी तरह की अन्य सुविधाओं/एमिनिटीज की स्थापना से संबंधित दिनांक 08.05.2019 का निर्देश संख्या 95।

6. एसईजेड अधिनियम, 2005 [धारा 2 (वी)] में 8 जुलाई, 2019 की अधिसूचना के माध्यम से संशोधन जिससे कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ट्रस्टों और किसी अन्य इकाई को एसईजेड में इकाइयां स्थापित करने में सक्षम बनाया जा सके।

7. मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्रों (एफटीडब्ल्यूजेड) में पड़े परित्यक्त माल/अनिकासी कार्गो की निकासी के लिए दिशानिर्देशों से संबंधित निर्देश संख्या 96 दिनांक 31.07.2019

8. निर्देश संख्या 98 दिनांक 29.08.2019 में डेवलपर को राज्य नीतियों के अनुरूप जोन में हितधारकों के साथ दीर्घकालिक पट्टा समझौता करने की छूट दी गई है।

9. एसईजेड इकाई को उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर एक एसईजेड से दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए विकास आयुक्त को शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित निर्देश संख्या 101 दिनांक 01.11.2019।

10. दिनांक 31.12.2019 की अधिसूचना द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में किसी इकाई की विशेष प्रकृति को देखते हुए इसके लिए शुद्ध विदेशी मुद्रा की गणना की सुविधा के लिए नियम 53 ए जोड़ा गया।

11. विनिर्माण क्षेत्रों की सेवा को सक्षम करने के लिए सहायता । अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) सेवाओं, इंजीनियरिंग डिजाइन सेवाओं, अवसंरचना सेवा जैसी विनिर्माण सक्षम सेवा कंपनियों की अनुमति देना।

12. एक सह-विकासक से दूसरे सह-विकासक को अनुमोदन के हस्तांतरण के लिए प्रावधानों को सक्षम करना।

13. दिनांक 23.10.2020 के संशोधन के माध्यम से, एसईजेड नियमों के नियम 24 (3) में एक परंतुक मुक्त व्यापार और भंडारण क्षेत्र में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से आपूर्ति पर ड्रॉबैक की स्वीकार्यता और किसी अन्य समान लाभ के बारे में जोड़ा गया है, जहां घरेलू टैरिफ क्षेत्र में विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा विदेशी मुद्रा में भुगतान किया जाता है।

14. दिनांक 16.06.2021 की अधिसूचना द्वारा एसईजेड नियम, 2006 में एक नया नियम 21ए जोड़ा गया जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) के तहत अधिसूचित बहुपक्षीय या एकपक्षीय या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा इकाई की स्थापना को सक्षम बनाता है।

15. विद्युत दिशा-निर्देश, 2016 में दिनांक 07.06.2021 के ओएम द्वारा संशोधन किया गया है, जिसमें किसी इकाई को कैप्टिव उपभोग के अनन्य उद्देश्य के लिए अपने परिसर में गैर-पारंपरिक बिजली संयंत्र स्थापित करने की अनुमति दी गई है, जो कि एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 26 के तहत निर्धारित गैर-कर/शुल्क लाभ के अधीन है ।

16. एसईजेड में फटे हुए/प्रयुक्त कपड़ों और प्लास्टिक रीसाइक्लिंग इकाइयों के लिए नीति से संबंधित निर्देश संख्या 106, 27.5.2021 को जारी किया गया था।

17. फार्मा उद्योग के लिए विनियामक अनुपालन को कम करने के लिए दिनांक 26.08.2021 को निर्देश संख्या 107 जारी किया गया था। इसके अलावा, सेज ऑनलाइन प्रणाली के साथ भारतीय खाद्य मानक और सुरक्षा प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के एकीकरण को लाइव कर दिया गया है।

18. एसईजेड नियम, 2006 के नियम 74 के तहत मौजूदा इकाई द्वारा स्थान के हस्तांतरण की वैकल्पिक विधि से संबंधित दिनांक 11 अक्टूबर, 2021 को निर्देश संख्या 108 जारी किया गया ।

19. दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 को अनुदेश संख्या 109 जारी किया गया था जिसमें प्रावधान है कि नाम परिवर्तन, शेयरधारिता पैटर्न में परिवर्तन, व्यवसाय हस्तांतरण व्यवस्था, न्यायालय द्वारा अनुमोदित विलय और विघटन, गठन में परिवर्तन, निदेशकों का परिवर्तन आदि सहित पुनर्गठन को संबंधित इकाई अनुमोदन समिति (यूएसी) द्वारा इस शर्त के अधीन किया जा सकता है कि विकासक/सह-विकासक/इकाई विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर निकलने या निर्गम करने का विकल्प नहीं चुनेगी और एक सतत कन्सर्न के रूप में कार्य करना जारी रखेगी।

20. एसईजेड नियम, 2006 के नियम 41 और 42 में 8 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 288 (ई) के माध्यम से एक नियम में संशोधन किया गया है जिससे कि एसईजेड से जॉबवर्क करते समय कीमती धातुओं को शामिल किया जा सके।

21. एसईजेड नियम, 2006 में एक नया नियम 19ए जोड़ा गया था, जो नियम 19 के तहत अधिकृत किसी इकाई को बुलियन स्पॉट डिलीवरी संविदा जारी करने के प्रयोजन के लिए अर्न्तहित परिसम्पत्ति के रूप में बुलियन स्टोर करने या उस अन्तर्हित बुलियन सहित बुलियन डिपॉजिटरी रसीद जारी करने में सक्षम बनाता है, जिसका बुलियन विनिमय, जिसे अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र के रूप में माना जाएगा में व्यापार किया जाता है ।

22. एसईजेड/ईओयू में प्रयुक्त/घिसे-पिटे कपड़ों और प्लास्टिक रीसाइक्लिंग इकाइयों के लिए 5 मई, 2022 को एक नीति जारी की गई है, जिससे एसईजेड/ईओयू में प्लास्टिक रीसाइक्लिंग इकाइयों के एलओए को 27.05.2021 के नीति दिशानिर्देशों में निर्धारित 18 महीने के बजाय 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

23. उन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) के संबंध में दिनांक 03.10.2022 की अधिसूचना के माध्यम से एसईजेड नियम, 2006 में एक नया नियम 29ए जोड़ा गया था, जो आयात की प्रक्रियाओं के प्रावधान प्रदान करने, आईएफएससी में विमान पट्टे पर देने वाली इकाइयों द्वारा भारत में आयातक को विमान को हटाने, पट्टे की अवधि की समाप्ति पर गैर-अनुसूचित ऑपरेटर परमिट (एनएसओपी) या अनुसूचित ऑपरेटर परमिट (एसओपी) या आईएफएससी द्वारा किसी अन्य घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) आपूर्तिकर्ता से विमान की खरीद/वापसी और आईएफएससी इकाई द्वारा क्रमशः भारत के बाहर विमानों की निर्यात के प्रावधान प्रदान करता है।

24. कुछ श्रेणी के कर्मचारियों को 31.12.2023 तक घर से काम करने की अनुमति देने के लिए दिनांक 08.12.2022 की अधिसूचना द्वारा एसईजेड नियम, 2006 के नियम 43 ए में एक नियम संशोधन किया गया है।

25. दिनांक 23.02.2023 की अधिसूचना के माध्यम से एसईजेड नियम, 2006 में एक नया नियम 21 बी जोड़ा गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में विमान लीजिंग इकाई को विमान पट्टे पर लेने की गतिविधि करने के लिए अधिकृत आईएफएससी में स्थापित किसी अन्य इकाई के कार्यालय स्थान या जनशक्ति या दोनों का उपयोग करने की अनुमति देता है।

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.5353

दिनांक 05 अप्रैल, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

अवैध व्यापार

5353. श्री बेल्लाना चन्द्रशेखरः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार बांग्लादेश के साथ अवैध व्यापार को रोकने के लिए उपाय कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे उपायों का क्या प्रभाव पड़ा हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग) भारत और बांग्लादेश के बीच कई द्विपक्षीय समीक्षा तंत्र हैं जिनके अंतर्गत दोनों देशों की संगत एजेंसियां अवैध व्यापार को रोकने के लिए भारत-बांग्लादेश सीमा पर अपनाए गए संस्थागत उपायों का आवधिक मूल्यांकन करती हैं। इन संस्थागत तंत्रों के कुछ उदाहरण सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गॉर्ड बांग्लादेश के बीच महानिदेशक (डीजी) स्तर की वार्ता; जाली भारतीय मुद्रा नोटों पर संयुक्त कार्य बल; नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), भारत सरकार और नारकोटिक्स कंट्रोल विभाग, बांग्लादेश सरकार के बीच डीजी स्तर की वार्ता; सुरक्षा और सीमा प्रबंधन पर संयुक्त कार्य समूह; गृह सचिव स्तर की वार्ताएं हैं। इसके अतिरिक्त, एकीकृत जांच चौकियों पर अवसंरचना उन्नयन और भारत-बांग्लादेश सीमा पर सीमा हाट खोलने से विधिसम्मत व्यापार को काफी प्रोत्साहन मिला है।

****

भारत सरकार लोक सभा
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अतारांकित प्रश्न सं.5351
वाणिज्य विभाग

दिनांक 05 अप्रैल, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

पान मेथी को मसाला बोर्ड में शामिल करना

5351. श्री हनुमान बेनीवाल:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के नागौर जिले में विशेष रूप से उत्पादित पान मेथी (मेथी के पत्ते) को मसाला वस्तु में शामिल करने का कोई प्रस्ताव मसाला बोर्ड के विचाराधीन है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में निदेश कब तक जारी किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार का नागौर जिले में उत्पादित पान मेथी (मेथी) को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए जीआई टैग प्राप्त करने का विचार है; और
(घ) यदि हां, तो उक्त को कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 के तहत, 52 अनुसूचित मसालों की एक सूची है और वर्तमान में, पान मेथी इस सूची का हिस्सा नहीं है। हालाँकि, मसाला (संवर्धन और विकास) विधेयक, 2022 के द्वारा उक्त अधिनियम का प्रतिस्थापन विचाराधीन है। विधेयक का मसौदा, जिसमें पहली अनुसूची में पान मेथी को मसालों की सूची में शामिल किया गया है, पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

(ग) और (घ): नागौर जिले में उत्पादित पानमेथी (मेथी) को जीआई टैग के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं.5326**

वाणिज्य विभाग

दिनांक 05 अप्रैल, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

एलजीडी

5326. श्री रितेश पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में प्रयोगशाला में बनाए गए हीरे से संबंधित (एलजीडी) उद्योग के आकार का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान इस उद्योग से प्राप्त राजस्व की मात्रा और विकास दर का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारत में प्राकृतिक हीरे के बाजार पर बढ़ते प्रयोगशाला आधारित हीरा उद्योग के प्रभाव पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने सूरत के उन हीरा कामगारों की दुर्दशा को संज्ञान में लिया है जिन्होंने कोविड-19 के प्रभाव के कारण अपनी नौकरी खो दी है और जिन पर प्रयोगशाला में बने हीरों को बढ़ावा देने से और अधिक गंभीर रूप से प्रभाव पड़ेगा;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार की प्रयोगशाला आधारित हीरा उद्योग में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मौजूदा हीरा कटिंग और पॉलिशिंग कामगारों को प्रयोगशाला आधारित कौशल प्रदान करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रयोगशाला में बनाए गए हीरों (एलजीडी) के निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	निर्यात	
	मिलियन अमरीकी डालर	% वृद्धि
2017	163.37	-
2018	259.19	59%
2019	445.56	72%
2020	532.35	19%
2021	1,178.77	121%
2022	1,780.59	51%

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

(ग) से (च): भारत में प्राकृतिक हीरे का बाजार मामूली है और भारत में तराशे और पॉलिश किए गए अधिकांश हीरे निर्यात किए जाते हैं। एलजीडी प्राकृतिक हीरे के लिए एक कम लागत वाला विकल्प है, जिसके समान रासायनिक और ऑप्टिकल गुण होते हैं। परिणामस्वरुप, एलजीडी के उच्च उत्पादन से लागत में और कमी आएगी और इससे भारत में हीरा बाजार का विस्तार होने की संभावना है। प्राकृतिक हीरे का उत्पादन चरम पर पहुंच गया है और मध्यम से दीर्घावधि में इसमें गिरावट आने की संभावना है। एलजीडी की शुरुआत के साथ, हीरे की समग्र खपत में वृद्धि होगी जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। एलजीडी रासायनिक और ऑप्टिकल रूप से प्राकृतिक हीरे के समान होने के कारण, एलजीडी को तराशने और पॉलिश करने के लिए अपेक्षित कौशल सेट प्राकृतिक हीरे के समान है।

*****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं.5315**

वाणिज्य विभाग

दिनांक 05 अप्रैल, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

कृषि निर्यात

5315. डॉ. सुजय विखे पाटील :

श्री कृष्णपाल सिंह यादव :

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:

प्रो. रीता बहुगुणा जोशी :

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल :

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान भारत का कृषि निर्यात वर्ष-वार और राज्य-वार कुल कितने लाख टन का है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान भारत के कृषि निर्यात से वर्ष-वार कितना राजस्व प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या गेहूं, चावल और चीनी जैसी जिन वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, उनके वहन में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारत में आयातित वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) विगत पांच वर्षों के दौरान भारत के आयात का वर्ष-वार ब्यौरा इस हेतु व्यय की गई राशि सहित क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत के कृषि निर्यात की मात्रा और मूल्य का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है। भारत के कृषि निर्यात का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत से गेहूं, चीनी और गैर-बासमती चावल के निर्यात का माह-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है: -

2022-23 के दौरान निर्यात (मात्रा लाख टन में)										
विवरण	**अप्रैल**	**मई**	**जून**	**जुलाई**	**अगस्त**	**सितम्बर**	**अक्टूबर**	**नवंबर**	**दिसम्बर**	**जनवरी**
गेहूँ*	14.73	11.35	7.25	4.94	5.81	1.83	0.66	0.00	0.00	0.00
चीनी**	14.78	15.24	10.44	5.20	5.28	4.36	4.65	6.73	15.90	13.98
गैर-बासमती चावल***	13.53	13.27	16.69	14.66	17.79	13.60	12.56	13.59	16.04	13.91

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

* गेहूं के निर्यात पर दिनांक 13 मई, 2022 की डीजीएफटी अधिसूचना द्वारा रोक लगाई गई थी।

** चीनी के निर्यात पर दिनांक 24 मई, 2022 की डीजीएफटी अधिसूचना द्वारा प्रतिबंधित किया गया था।

*** टूटे हुए चावल के निर्यात पर दिनांक 8 सितंबर, 2022 की डीजीएफटी अधिसूचना द्वारा रोक लगाई गई थी । उसना चावल को छोड़कर अन्य गैर-बासमती किस्मों के निर्यात पर 20% का निर्यात शुल्क अधिरोपित किया गया था।

गेहूं के निर्यात पर मई 2022 में निर्यात प्रतिबंध लगाने के बाद से गिरावट आई है। सितंबर 2022 से गैर-बासमती चावल का मासिक निर्यात भी अगस्त 2022 के गैर-प्रतिबंध स्तर से कम रहा है। 1 जून 2022 से चीनी का निर्यात चीनी निदेशालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की विशिष्ट अनुमति से ही अनुमत है। ऐसा चीनी के अनियंत्रित निर्यात को रोकने और उचित मूल्य पर घरेलू खपत के लिए चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। जून 2022 से चीनी का मासिक निर्यात, दिसंबर 2022 माह को छोड़कर, मई 2022 के गैर-प्रतिबंध स्तर से नीचे रहा है।

(घ) काजू, तिल, अखरोट इत्यादि सहित कुछ कृषि उत्पादों का आयात किया जाता है और फिर भारत में प्रसंस्करण और मूल्य-वर्धन के बाद इनका निर्यात किया जाता है।

(ड़) पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत के कृषि उत्पादों के आयात और खर्च की गई राशि का विवरण अनुबंध-III पर दिया गया है।

****

अनुबंध- I

दिनांक 05.04.2023 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5315 के भाग (क) और (ख) के उत्तर से संबंधित अनुबंध

भारत के कृषि उत्पादों का निर्यात

मात्रा लाख यूनिट में ; मूल्य अमरीकी मिलियन डॉलर में

		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
विवरण	**इकाई**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**
समुद्री उत्पाद	किग्रा	14324.57	7389.22	16723.86	6802.56	13290.31	6722.07	11677.58	5962.39	13980.14	7772.36
चावल (बासमती के अलावा)	टन	88.19	3636.60	76.48	3038.16	50.56	2031.25	131.49	4810.80	172.89	6133.63
चीनी	टन	17.58	810.90	39.90	1360.29	57.99	1966.44	75.18	2789.91	104.57	4602.65
मसाले	किग्रा	10963.23	3115.37	11338.89	3322.45	11934.41	3621.38	16070.59	3983.98	14277.18	3896.03
चावल - बासमती	टन	40.57	4169.56	44.15	4712.44	44.55	4372.00	46.30	4018.41	39.44	3537.49
भैंस का मांस	टन	13.50	4037.11	12.33	3587.15	11.52	3199.60	10.86	3171.13	11.75	3303.78
अपशिष्ट सहित कच्चा कपास	टन	11.01	1894.25	11.43	2104.41	6.58	1057.34	12.14	1897.21	12.59	2816.24
गेहूँ	टन	3.23	96.72	2.27	60.24	2.20	62.82	21.55	567.93	72.45	2122.13
अरंडी का तेल	किग्रा	6970.93	1043.99	6193.77	883.78	5939.07	894.36	7343.36	917.24	7152.10	1175.50
विविध संसाधित आइटम	एनए	0.00	550.55	0.00	659.18	0.00	647.07	0.00	866.04	0.00	1169.05
अन्य अनाज	टन	8.64	248.59	12.57	348.97	5.01	205.19	30.76	705.38	38.59	1087.39
तैल खाद्य	टन	35.71	1093.16	44.93	1508.65	26.56	827.90	43.67	1585.04	29.26	1031.94
कॉफ़ी	किग्रा	3178.29	968.57	2828.40	822.34	2570.32	738.86	2452.10	719.66	3330.99	1020.74
ताज़ा फल	टन	7.14	761.79	8.23	795.29	8.35	770.25	9.73	768.54	11.66	877.22
ताज़ी सब्जियां	टन	24.48	821.76	31.92	812.00	19.31	651.68	23.40	723.97	24.68	815.26
प्रसंस्कृत फल और जूस	किग्रा	5732.81	646.92	5944.87	639.65	5688.83	646.83	5328.71	695.56	6297.04	778.30
चाय	किग्रा	2728.95	837.36	2703.06	830.93	2548.01	826.53	2126.88	756.26	2086.14	751.07
अनाज से तैयार खाद्य	टन	3.53	552.61	3.48	551.72	3.43	548.29	4.04	636.97	4.16	652.49
डेयरी उत्पाद	किग्रा	1022.63	303.05	1806.88	481.55	1111.72	280.43	1183.34	323.09	1919.54	634.89
मूंगफली	टन	5.04	524.82	4.89	472.59	6.64	715.81	6.38	727.21	5.14	629.28
आयुष और हर्बल उत्पाद	किग्रा	890.98	456.12	1080.51	448.07	922.42	428.08	1205.58	539.88	1261.12	612.12
तम्बाकू अनिर्मित	किग्रा	1853.64	593.88	1895.54	570.30	1818.42	530.38	1782.97	517.54	1962.61	570.40
काजू	टन	0.90	922.41	0.78	654.43	0.84	566.82	0.70	420.43	0.75	453.08
ग्वारगम मील	टन	4.94	646.94	5.13	674.88	3.82	461.53	2.35	262.99	3.22	447.61
प्रसंस्कृत सब्जियां	किग्रा	2122.03	282.87	2289.67	293.96	2233.08	311.71	3670.99	424.70	3082.75	412.29
तिल	किग्रा	3368.50	463.90	3120.03	538.96	2822.57	525.57	2732.60	425.64	2421.46	407.15
दाल	टन	1.80	227.75	2.87	259.35	2.32	213.67	2.77	265.57	3.87	359.41
तम्बाकू निर्मित	एनए	0.00	340.37	0.00	411.04	0.00	374.77	0.00	359.17	0.00	353.17
मिल्ड उत्पाद	किग्रा	2703.97	136.01	3074.19	151.86	2864.50	151.56	3970.56	207.13	6995.65	305.49
मादक पेय	एल टीआर	2410.13	326.67	2316.02	300.91	1394.53	232.68	2503.33	330.22	2009.21	274.07
वनस्पति तेल	टन	0.37	87.83	0.50	106.79	0.85	170.09	3.02	604.12	0.98	221.01
गुड़	टन	1.24	15.06	8.46	83.79	5.94	72.97	13.18	178.75	14.05	217.92
कोको उत्पाद	किग्रा	295.80	177.47	276.07	192.69	274.33	180.10	257.77	149.78	273.23	153.68
फल / सब्जी के बीज	किग्रा	144.66	104.04	175.32	124.93	192.22	109.24	322.85	125.16	209.89	113.34
चपड़ा	किग्रा	65.31	44.22	69.96	43.70	71.74	57.90	78.76	87.83	84.86	105.80
पुष्प उत्पाद	किग्रा	207.04	78.73	196.95	81.78	169.49	76.52	156.95	77.84	236.95	103.61
पोल्ट्री उत्पाद	ना	0.00	85.70	0.00	98.15	0.00	81.04	0.00	58.70	0.00	71.04
अन्य तिलहन	टन	2.95	174.79	2.14	131.57	0.90	61.79	0.85	61.24	0.60	68.92
पशु आवरण	किग्रा	124.25	50.68	148.83	68.27	128.16	56.10	138.88	56.23	138.27	63.54
भेड़/बकरी का मांस	टन	0.23	130.90	0.22	124.65	0.14	92.62	0.07	44.64	0.09	60.11
नाइजर के बीज	किग्रा	92.15	10.84	133.71	13.64	138.31	14.91	195.91	21.58	60.30	8.30
प्राकृतिक रबर	टन	0.08	13.89	0.07	11.02	0.13	21.71	0.11	16.67	0.04	7.24
अन्य मांस	टन	0.00	1.09	0.01	1.96	0.01	2.35	0.01	2.47	0.02	6.11
कैश्यूनट शेल लिक्विड	किग्रा	83.25	5.06	53.01	3.87	46.05	3.25	37.36	2.66	49.44	4.36
संसाधित मांस	टन	0.00	1.54	0.00	2.00	0.00	2.17	0.01	1.71	0.00	1.55
कुल			**38881.64**		**39186.91**		**35585.62**		**41869.37**		**50208.74**

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

अनुबंध- II

दिनांक 05.04.2023 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5315 के भाग (क) और (ख) के उत्तर से संबंधित अनुबंध

कृषि उत्पादों के निर्यात का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

मूल्य अमरीकी मिलियन डालर में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
अंडमान और निकोबार	3.60	0.75	0.65	1.12	1.02
आंध्र प्रदेश	4762.76	4694.07	4793.42	4849.69	6439.41
अरुणाचल प्रदेश	1.59	0.60	0.13	0.25	0.01
असम	314.94	291.62	320.18	291.46	241.56
बिहार	292.73	350.04	407.34	673.88	802.17
चंडीगढ़	4.19	6.74	7.97	7.68	6.85
छतीसगढ़	548.03	338.13	274.86	793.75	1202.62
दादर और नगर हवेली	7.49	12.23	14.45	44.91	36.89
दमन और दीव	74.25	91.92	82.58	53.82	48.26
दिल्ली	1203.76	1067.33	831.88	876.14	719.00
गोवा	155.77	130.82	86.63	80.96	131.56
गुजरात	6056.99	7083.21	6265.51	7856.10	9228.10
हरियाणा	2678.96	2774.63	2739.49	2734.48	2746.35
हिमाचल प्रदेश	27.40	39.84	35.42	36.94	46.76
जम्मू और कश्मीर	36.08	26.21	17.35	17.18	36.52
झारखंड	33.18	13.34	15.59	33.10	42.63
कर्नाटक	1768.84	1641.02	1455.73	1780.74	2636.19
केरल	2465.40	2079.80	1861.20	1912.12	2156.62
लक्षद्वीप	0.05	0.24	0.17	0.10	-
मध्य प्रदेश	986.49	1206.31	842.22	1593.04	1543.52
महाराष्ट्र	5463.96	5906.73	5329.04	6408.44	8370.95
मणिपुर	0.12	0.09	0.02	-	0.07
मेघालय	1.14	0.59	0.29	0.09	0.17
मिजोरम	0.62	0.69	0.49	0.48	0.00
नागालैंड	0.04	0.39	0.10	0.21	0.19
ओडिशा	505.82	435.94	454.74	456.43	715.66
पुदुचेरी	14.07	7.26	8.70	13.25	15.40
पंजाब	1545.25	1402.41	1267.34	1161.60	978.14
राजस्थान	655.48	700.07	568.64	581.67	790.85
सिक्किम	2.19	2.44	2.40	1.38	1.18
तमिलनाडु	2343.95	2099.36	1955.87	2108.66	2145.90
तेलंगाना	789.82	776.11	667.32	832.20	1265.62
त्रिपुरा	1.27	0.84	0.90	0.21	0.31
अनिर्दिष्ट	932.42	576.85	177.27	474.94	460.38
उत्तर प्रदेश	3201.26	3529.81	3399.48	3813.44	4074.17
उत्तरांचल	79.42	100.65	74.29	101.88	125.38
पश्चिम बंगाल	1922.35	1797.81	1625.97	2277.04	3198.30
कृषि उत्पादों का कुल निर्यात	**38881.64**	**39186.91**	**35585.62**	**41869.37**	**50208.74**

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

नोट: डीजीसीआईएस द्वारा राज्य-वार निर्यात डेटा निर्यातकों द्वारा रिपोर्ट किए गए राज्य कोड के आधार पर संकलित किए जाते हैं, जो डीजीसीआईएस द्वारा मान्य नहीं होते हैं।

अनुबंध-III

दिनांक 05.04.2023 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5315 के भाग (ङ) के उत्तर से संबंधित अनुबंध

भारत का कृषि उत्पादों का आयात

मात्रा लाख इकाइयों में ; मूल्य अमरीकी मिलियन डॉलर में

		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
विवरण	**इकाई**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**
वनस्पति तेल	टन	153.61	11637.48	150.19	9890.32	147.22	9672.88	135.40	11089.12	142.78	18991.62
ताज़ा फल	टन	9.95	1942.92	11.24	1987.58	9.94	1993.14	12.12	2131.21	15.52	2460.33
दाल	टन	56.08	2908.33	25.28	1140.76	28.98	1440.09	24.66	1611.72	27.00	2228.95
मसाले	किग्रा	2223.26	990.70	2405.55	1135.44	3209.35	1438.72	3442.11	1090.03	3640.68	1299.38
काजू	टन	6.54	1418.63	8.40	1607.54	9.41	1277.71	8.34	1006.20	9.39	1255.46
प्राकृतिक रबड़	टन	4.70	829.15	5.82	873.26	4.57	696.43	4.10	624.35	5.46	1032.71
मादक पेय	एल टीआर	5637.70	601.22	5879.59	667.60	5767.64	656.08	6458.03	543.73	5637.71	693.23
ऑयल मील्स	टन	4.86	115.83	5.04	125.26	8.60	213.40	5.10	136.73	13.02	609.91
अन्य तेल बीज	टन	1.27	56.47	2.20	108.60	4.11	213.41	5.07	289.60	7.01	577.56
अपशिष्ट सहित कच्चा कपास	टन	4.69	979.32	2.99	633.05	7.44	1328.42	2.31	385.89	2.24	559.55
विविध संसाधित आइटम		0.00	349.00	0.00	366.32	0.00	372.53	0.00	306.16	0.00	456.31
कोको उत्पाद	किग्रा	712.58	228.51	875.95	263.15	852.76	259.03	890.91	273.06	1111.88	363.40
समुद्री उत्पाद	किग्रा	447.13	123.06	569.33	155.70	724.06	181.93	1014.25	225.63	766.18	223.91
अनाज से तैयार खाद्य	टन	0.71	102.35	0.91	138.44	0.96	142.16	1.13	163.72	1.25	204.79
चीनी	टन	24.03	936.52	14.91	449.03	11.18	350.39	19.64	635.62	3.60	169.20
कॉफ़ी	किग्रा	772.17	154.73	827.72	137.67	880.88	135.77	784.96	121.37	847.23	141.31
फल / सब्जी के बीज	किग्रा	160.51	119.19	197.26	119.77	177.76	120.43	249.84	142.93	197.62	140.04
प्रसंस्कृत फल और जूस	किग्रा	535.85	124.78	591.24	129.69	541.02	108.87	444.37	89.64	631.64	133.79
आयुष और हर्बल उत्पाद	किग्रा	136.39	60.92	201.43	72.90	412.14	84.33	763.50	107.72	537.47	111.14
चाय	किग्रा	249.39	55.39	288.51	59.65	219.35	58.44	385.85	88.95	303.43	63.92
अन्य अनाज	टन	2.65	67.27	2.44	67.92	6.73	170.54	1.35	44.27	1.12	49.53
डेयरी उत्पादों	किग्रा	233.94	48.51	136.43	36.43	204.24	52.17	185.34	48.91	145.74	47.66
तम्बाकू निर्मित		0.00	28.85	0.00	36.76	0.00	33.45	0.00	21.37	0.00	44.04
पुष्प उत्पाद	किग्रा	62.41	21.16	63.74	24.97	71.97	32.53	39.59	21.72	62.36	34.62
तिल	किग्रा	262.70	27.40	875.38	124.23	1469.90	204.49	1032.36	121.93	210.96	29.45
प्रसंस्कृत सब्जियां	किग्रा	153.35	20.92	180.98	23.20	336.22	35.86	182.66	22.07	207.14	28.06
तम्बाकू अनिर्मित	किग्रा	15.42	10.78	25.96	14.48	47.72	21.64	72.10	17.42	67.94	18.95
ताज़ी सब्जियां	टन	0.16	3.98	0.15	3.40	1.50	83.46	0.73	30.50	0.46	18.48
चपड़ा	किग्रा	4.67	2.85	6.41	2.75	8.46	3.31	6.39	2.86	16.79	10.43
चावल (बासमती के अलावा)	टन	0.02	1.89	0.07	4.56	0.06	11.06	0.05	3.33	0.11	6.61
नाइजर के बीज	किग्रा	53.33	4.49	86.65	5.80	47.02	3.46	59.19	5.47	56.46	5.45
पोल्ट्री उत्पाद		0.00	4.17	0.00	6.01	0.00	5.72	0.00	3.48	0.00	5.36
अन्य मांस	टन	0.01	4.31	0.01	4.39	0.01	4.64	0.00	2.37	0.01	4.63
कैश्यूनट शेल लिक्विड	किग्रा	20.92	0.88	66.11	3.02	86.66	3.25	22.01	0.97	65.26	3.08
मिल्ड उत्पाद	किग्रा	32.76	2.02	41.85	2.23	43.25	2.27	25.33	1.37	33.74	1.95
मूंगफली	टन	0.02	2.02	0.01	1.16	0.02	1.62	0.01	1.06	0.01	1.26
अरंडी का तेल	किग्रा	0.38	0.40	2.24	0.76	1.38	1.13	1.64	1.36	0.94	1.08
ग्वारगम मील	टन	0.00	0.51	0.01	0.84	0.02	3.66	0.00	1.49	0.00	0.79
संसाधित मांस	टन	0.00	0.50	0.00	0.59	0.00	0.64	0.00	0.69	0.00	0.75
भेड़/बकरी का मांस	टन	0.00	2.07	0.00	1.55	0.00	1.87	0.00	0.12	0.00	0.66
गुड़	टन	0.73	10.76	0.04	0.20	0.32	1.45	0.02	0.12	0.02	0.27
पशु आवरण	किग्रा	0.00		0.00		0.00		0.14	0.07	0.02	0.03
गेहूँ	टन	16.50	364.50	0.03	0.77	0.02	0.65	0.00	0.00	0.00	0.02
कुल			**24364.76**		**20427.73**		**21423.05**		**21416.35**		**32029.68**

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 5294**

वाणिज्य विभाग

दिनांक 05 अप्रैल, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

मुक्त व्यापार समझौता

5294. श्री सुधीर गुप्ता :

श्री बिद्यत बरन महतो :

श्री प्रतापराव जाधव :

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक :

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत ने अब तक देश-वार कुल कितने देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) क्या कुछ देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की प्रक्रिया चल रही है और यदि हां, तो इन्हें देश-वार कब तक अंतिम रूप दिया जाएगा;

(ग) क्या यह सच है कि जिन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं उनमें से कुछ देशों से आयात की तुलना में भारत का निर्यात कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले और बाद में इन देशों के साथ व्यापार घाटे का देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ड.) देश में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) भारत ने अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ 13 मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन एफटीए की सूची संलग्न है (अनुबंध-I)।

(ख) भारत वर्तमान में फास्ट ट्रैक आधार पर यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ और कनाडा के साथ एफटीए पर बातचीत कर रहा है। हालांकि, बातचीत के पूरा होने की समय सीमा का पूर्वानुमान लगाना कठिन है, क्योंकि समझौते तब किए जाते हैं जब बातचीत करने वाले देश परिणाम से संतुष्ट होते हैं।

(ग) और (घ) एफटीए भागीदार देशों के साथ भारत के पण्यवस्तु व्यापार का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है। देश का व्यापार संतुलन कई कारकों पर निर्भर करता है जिसमें संबंधित आर्थिक विकास पैटर्न शामिल है।

(ङ) सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य के साथ-साथ 31 मार्च, 2023 को व्यापक विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) की घोषणा शामिल है जिसमें विभिन्न व्यापार संवर्धन स्कीमें; व्यवसाय करने की सुगमता से संबंधित उपाय, लेनदेन लागत में कमी और ई-पहलें; रुपये के भुगतान के तहत निर्यात के लिए एफ़टीपी लाभों के विस्तार सहित निर्यात संवर्धन पहलें, निर्यात उत्कृष्टता के नए शहर; निर्यात हब के रूप में जिला के लिए पहलें; निर्यात संबंधी अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स विकास; ई-कामर्स निर्यात के लिए एफ़टीपी लाभ; भारत-कोरिया सीईसीए जैसे मौजूदा एफटीए की समीक्षा; नए एफटीए पर बातचीत; भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश लक्ष्यों आदि को बढ़ावा देने की दिशा में विदेशों में भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका को बढ़ाना शामिल है ।

अनुबंध- I

मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) की सूची

क्र.सं.	समझौते का नाम	समझौते पर हस्ताक्षर करने की तिथि	समझौते के कार्यान्वयन की तिथि
1	भारत - श्रीलंका एफटीए	28 दिसंबर, 1998	1 मार्च , 2000
2	साफ्टा पर समझौता (भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान)	4 जनवरी , 2004	1 जनवरी, 2006 *(टैरिफ रियायतें 1 जुलाई, 2006 से लागू)*
3	भारत नेपाल व्यापार संधि	27 अक्टूबर , 2009	यह संधि 7 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाई गई है और इस समय 26 अक्टूबर 2023 तक लागू है।
4	व्यापार वाणिज्य और पारगमन पर भारत - भूटान समझौता	17 जनवरी , 1972	पारस्परिक रूप से सहमत संशोधनों के साथ समय-समय पर नवीनीकृत। दिनांक 29 जुलाई 2006 का समझौता 10 वर्षों के लिए वैध था। आपसी सहमति से, वैधता को एक वर्ष या प्रस्तावित नए समझौते के लागू होने तक की अवधि के लिए बढ़ाया गया था। नवीनीकृत समझौते पर 12.11.2016 को हस्ताक्षर किए गए हैं और 29 जुलाई 2017 से 10 वर्षों की अवधि के लिए लागू हुआ है।
5	भारत - थाईलैंड एफटीए - अर्ली हार्वेस्ट स्कीम (ईएचएस)	9 अक्टूबर , 2003	1 सितंबर , 2004
6	भारत - सिंगापुर सीईसीए	29 जून , 2005	1 अगस्त, 2005
7	भारत - आसियान- सीईसीए - माल, सेवा व्यापार और निवेश समझौता में (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम)	13 अगस्त , 2009 और सेवाओं और निवेश के लिए नवंबर 2014	चीज़ें 1 जनवरी 2010 भारत और मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड के संबंध में। भारत और वियतनाम के संबंध में 1 जून 2010। 1 सितंबर 2010 भारत और म्यांमार के संबंध में । 1 अक्टूबर 2010 भारत और इंडोनेशिया के संबंध में । 1 नवंबर 2010 भारत और ब्रुनेई के संबंध में। 24 जनवरी 2011 भारत और लाओस के संबंध में। 1 जून 2011 भारत और फिलीपींस के संबंध में । 1 अगस्त, 2011 भारत और कंबोडिया के संबंध में । सेवाएं और निवेश 1 जुलाई, 2015
8	भारत - दक्षिण कोरिया सीईपीए	7 अगस्त , 2009	1 जनवरी , 2010
9	भारत - जापान सीईपीए	16 फरवरी , 2011	1 अगस्त , 2011
10	भारत - मलेशिया सीईसीए	18 फरवरी , 2011	1 जुलाई , 2011
11	भारत - मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता (सीईसीपीए)	22 फरवरी , 2021	1 अप्रैल , 2021
12	भारत-यूएई सीईपीए	18 फरवरी , 2022	1 मई 2022
13	भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (इंड- ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए)	2 अप्रैल , 2022	29 दिसंबर 2022।

अनुबंध- II

भारत का अपने एफटीए भागीदार देशों के साथ पण्य वस्तु व्यापार

(स्रोत: डीजीसीआई एंड एस)

1) भारत-श्रीलंका एफटीए

(मूल्य अमरीकी मिलियन डॉलर में)

देश / क्षेत्र	**एफटीए पूर्व**			**एफटीए पश्चात**		
	1998-99			**2021-22**		
	निर्यात	**आयात**	**व्यापार संतुलन**	**निर्यात**	**आयात**	**व्यापार संतुलन**
श्रीलंका	437.13	37.68	399.45	5,802.18	1,009.97	4,792.21

2) साफ्टा पर समझौता

(मूल्य अमरीकी मिलियन डॉलर में)

क्र.सं.	**देश / क्षेत्र**	**एफटीए पूर्व**			**एफटीए पश्चात**		
		2005-2006			**2021-22**		
		निर्यात	**आयात**	**व्यापार संतुलन**	**निर्यात**	**आयात**	**व्यापार संतुलन**
1	अफ़ग़ानिस्तान	142.67	58.42	84.25	554.47	510.93	43.54
2	बांग्लादेश	1,664.36	127.03	1537.33	16156.37	1977.93	14178.44
3	भूटान	99.17	88.77	10.4	885.81	545.04	340.77
4	मालदीव	67.58	1.98	65.6	670.4	68.93	601.47
5	नेपाल	859.97	379.85	480.12	9645.74	1371.04	8274.7
6	पाकिस्तान	689.23	179.56	509.67	513.82	2.54	511.28
7	श्रीलंका	2,024.67	577.7	1446.97	5802.18	1009.97	4792.21
	कुल साफ्टा	**5,547.65**	**1413.31**	**4134.34**	**34228.8**	**5486.37**	**28742.43**

3) भारत नेपाल व्यापार संधि

(मूल्य अमरीकी मिलियन डॉलर में)

देश / क्षेत्र	**एफटीए पूर्व**			**एफटीए पश्चात**		
	2008-09			**2021-22**		
	निर्यात	आयात	व्यापार संतुलन	निर्यात	आयात	व्यापार संतुलन
नेपाल	1,570.15	496.04	1,074.11	9,645.74	1,371.04	8,274.70

4) भारत-भूटान व्यापार, वाणिज्य और पारगमन भारत-भूटान समझौता

(मूल्य अमरीकी मिलियन डॉलर में)

देश / क्षेत्र	**एफटीए पूर्व**			**एफटीए पश्चात**		
	2005-06			**2021-22**		
	निर्यात	आयात	व्यापार संतुलन	निर्यात	आयात	व्यापार संतुलन
भूटान	99.17	88.77	10.4	885.81	545.04	340.77

5) भारत थाईलैंड एफटीए - अर्ली हार्वेस्ट स्कीम (ईएचएस)

(मूल्य अमरीकी मिलियन डॉलर में)

देश / क्षेत्र	**एफटीए- पूर्व**			**एफटीए पश्चात**		
	2003-04			**2021-22**		
	निर्यात	आयात	व्यापार संतुलन	निर्यात	आयात	व्यापार संतुलन
थाईलैंड	831.68	609.05	222.63	5751.3	9332.59	-3581.29

6) भारत-सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए)

(मूल्य अमरीकी मिलियन डॉलर में)

देश / क्षेत्र	**सीईसीए पूर्व**			**सीईसीए पश्चात**		
	2004-05			**2021-22**		
	निर्यात	आयात	व्यापार संतुलन	निर्यात	आयात	व्यापार संतुलन
सिंगापुर	4000.61	2651.4	1349.21	11150.66	18962.19	-7811.53

7) आसियान-इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट (एआईटीआईजीए)

(मूल्य अमरीकी मिलियन डॉलर में)

क्र.सं.	**देश/ क्षेत्र**	**एफटीए पूर्व**			**एफटीए पश्चात**		
		2008-09			**2021-22**		
		निर्यात	आयात	व्यापार संतुलन	निर्यात	आयात	व्यापार संतुलन
1	ब्रुनेई	17.64	397.52	-379.88	43.16	394.44	-351.28
2	कंबोडिया	46.9	2.72	44.18	198.37	94.88	103.49
3	इंडोनेशिया	2559.82	6666.34	-4106.52	8473.49	17702.83	-9229.34
4	लाओ पीडी आरपी	9	0.53	8.47	14.65	0.8	13.85
5	मलेशिया	3419.97	7184.78	- 3764 .81	6995.06	12424.2	-5429.14
6	म्यांमार	221.64	928.97	-707.33	893.03	1001.87	-108.84
7	फिलिपींस	743.77	254.77	489	2107.24	729.12	1378.12
8	सिंगापुर	8444.93	7654.86	790.07	11150.66	18962.19	-7811.53
9	थाईलैंड	1938.31	2703.82	-765.51	5751.3	9332.59	-3581.29
10	वियतनाम	1738.65	408.66	1329.99	6702.8	7438.52	-735.72
कुल आसियान		**19140 .63**	**26202 .96**	**- 7062 .33**	**42329.75**	**68081.43**	**-25751.7**

8) भारत-दक्षिण कोरिया सीईपीए

(मूल्य अमरीकी मिलियन डॉलर में)

देश/ क्षेत्र	सीईपीए पूर्व			सीईपीए पश्चात		
	2009-10			2021-22		
	निर्यात	आयात	व्यापार संतुलन	निर्यात	आयात	व्यापार संतुलन
दक्षिण कोरिया	3,421.05	8,576.07	-5155.02	8,085.03	17,477.20	-9392.17

9) भारत-जापान सीईपीए

(मूल्य अमरीकी मिलियन डॉलर में)

देश/ क्षेत्र	एफटीए- पूर्व			एफटीए पश्चात		
	2010-11			2021-22		
	निर्यात	आयात	व्यापार संतुलन	निर्यात	आयात	व्यापार संतुलन
जापान	5,091.24	8,632.03	-3,540.79	6,176.77	14,399.77	-8,223.00

10) भारत-मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए)

(मूल्य अमरीकी मिलियन डॉलर में)

देश/ क्षेत्र	2010-11 (सीईसीए पूर्व)			सीईसीए पश्चात		
				2021-22		
	निर्यात	आयात	व्यापार संतुलन	निर्यात	आयात	व्यापार संतुलन
मलेशिया	3871.17	6523.58	-2652.41	6995.06	12424.2	-5429.14

11) भारत-मॉरीशस सीईसीपीए

(मूल्य अमरीकी मिलियन डॉलर में)

	सीईसीपीए पूर्व			सीईसीपीए पश्चात		
	2020-21			2022-23 (अप्रैल-जनवरी)		
देश / क्षेत्र	निर्यात	आयात	व्यापार संतुलन	निर्यात	आयात	व्यापार संतुलन
मॉरीशस	422.91	42.61	380.30	392.17	71.91	320.26

12) भारत-यूएई सीईपीए

(मूल्य अमरीकी मिलियन डॉलर में)

	सीईपीए पूर्व			सीईपीए वर्ष 2022-23 में लागू हुआ। इसलिए सीईपीए पश्चात के आकडों का आंकलन वित्त वर्ष 2023-24 में किया जाएगा।
	2020-21			
देश / क्षेत्र	**निर्यात**	**आयात**	**व्यापार संतुलन**	
संयुक्त अरब अमीरात	16,679.54	26,622.99	-9,943.45	

13) भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए

(मूल्य अमरीकी मिलियन डॉलर में)

	एफटीए- पूर्व			एफटीए वर्ष 2022-23 में लागू हुआ। इसलिए एफटीए पश्चात के आकडों का आंकलन वित्त वर्ष 2023-24 में किया जाएगा।
देश/ क्षेत्र	2021-22			
	निर्यात	आयात	व्यापार संतुलन	
ऑस्ट्रेलिया	8,283.13	16,756.17	-8,473.04	

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5408

दिनांक 05 अप्रैल, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

नई विदेश व्यापार नीति

5408 श्रीमती शर्मिष्ठा सेठीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय का निकट भविष्य में नई विदेश व्यापार नीति आरम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई विदेश व्यापार नीति में ओडिशा के किसी निर्यात केन्द्र को बढ़ावा दिया जाएगा; और

(घ) यदि, हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): नई विदेश व्यापार नीति, 2023 दिनांक 31.03.2023 को लॉन्च की गई, जो 01.04.2023 से प्रभावी हुई।

(ग) और (घ): नई विदेश व्यापार नीति में निर्यात को बढ़ावा देने हेतु राज्यों और जिलों के साथ गहन रूप से जुड़ाव पर ज़ोर दिया गया है। ओडिशा राज्य सहित, देश के सभी जिलों में निर्यात हब के रूप में जिलों का संवर्धन एक सतत पहल है। इस उद्देश्य से जिलों में जिला निर्यात संवर्धन समितियों का गठन किया गया है और उन्होंने जिले से निर्यात क्षमता वाले विशिष्ट उत्पादों और सेवाओं को चिन्हित किया है।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5401

दिनांक 05 अप्रैल, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

कुत्तों का आयात

5401 श्री मनीश तिवारी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाणिज्य मंत्रालय ने दिनांक 25.04.2016 की अधिसूचना संख्या 03/2015–2020 के माध्यम से कुत्तों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस प्रतिबंध के कारण राजस्व की हानि हो रही है जिसका उपयोग पशु कल्याण में किया जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि पड़ोसी देशों को भारी–भरकम शुल्क का भुगतान करके हजारों कुत्तों को अवैध रूप से भारत लाया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कौशल विकास मंत्रालय ने अपने कार्यक्रम में कुत्तों के प्रजनन, उनकी देखभाल और प्रशिक्षण से संबंधित पाठ्यक्रमों को मंजूरी दे दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या यह सच है कि प्रजनन और पालतू पशु देखभाल उद्योग लाखों परिवारों के लिए आजीविका का एक साधन है और इस उद्योग का विकास दो अंकों में हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ड.): विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं. 03/2015–20 दिनांक 25.04.2016 के तहत कुत्तों के आयात को प्रतिबंधित कर दिया गया है। उक्त अधिसूचना के अनुसार, व्यावसायिक कुत्तों का आयात प्रजनन अथवा किसी अन्य व्यावसायिक कार्यकलाप हेतु अनुमत नहीं है, तथापि, कुत्तों का आयात निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्यों हेतु अनुमत है:

i. वैध पैट बुक और आयातक के नाम संबंधित अभिलेखों/दस्तावेज़ों के साथ पालतू कुत्ता ।
ii. सीपीसीएसईए की सिफारिश के साथ अनुसंधान करने हेतु आर एंड डी संगठनों द्वारा आयातित कुत्ते।
iii. रक्षा विभाग और पुलिस बल द्वारा आंतरिक सुरक्षा हेतु।

इसके अतिरिक्त, कौशल विकास मंत्रालय ने पशुपालन संबंधी अपने कार्यक्रम में निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को अनुमोदित किया है:

व्यवसाय	क्यूपी/कार्य भूमिका का नाम
कैप्टिव एंड स्मॉल एनिमल मैनेजमेंट	कैनिन ब्रीडर
कैप्टिव एंड स्मॉल एनिमल मैनेजमेंट	कैनिन ट्रेनर एंड हैंडलर
कैप्टिव एंड स्मॉल एनिमल मैनेजमेंट	कंपैनियन एनिमल ग्रूमर
कैप्टिव एंड स्मॉल एनिमल मैनेजमेंट	स्ट्रे एनिमल कैचर
कैप्टिव एंड स्मॉल एनिमल मैनेजमेंट	लैबरॉट्री एनिमल अटेंडेट
लिवस्टॉक हेल्थ मैनेजमेंट	आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन
लिवस्टॉक हेल्थ मैनेजमेंट	लिवस्टॉक सर्विस प्रोवाइडर

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 5357

दिनांक 05 अप्रैल, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

खिलौनों का आयात

5357 श्री मनोज तिवारी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने चीन जैसे देशों से खिलौनों, जिससे देश के पारंपरिक कुटीर उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा, के आयात के संबंध में कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए चरणबद्ध तरीके से लघु कुटीर भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): निम्न स्तरीय और असुरक्षित खिलौनों के आयात को प्रतिबंधित करने और घरेलू खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं जो निम्नानुसार हैं:

1. विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने दिनांक 02.12.2019 की अधिसूचना सं. 33/2015–2020 के तहत प्रत्येक आयात खेप के नमूना परीक्षण और जब तक गुणवत्ता परीक्षण सफल नहीं होता, बिक्री की अनुमति नहीं होगी, को अधिदेशित किया। विफलता के मामले में खेप या तो वापस भेज दी जाती है या आयातक के खर्च पर नष्ट कर दी जाती है।

2. खिलौनों पर मूल सीमाशुल्क (बीसीडी) 2020–21 के बजट में 22 प्रतिशत से बढ़ाकर 66 प्रतिशत कर दिया गया है और आगे यह बजट 2023–24 में बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया गया है।

3. बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 16 के तहत वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) द्वारा जारी खिलौना (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 के अनुसार 1 जनवरी, 2021 से खिलौनों की सुरक्षा अनिवार्य बीआईएस प्रमाणीकरण के तहत है।

3(क) तदनुसार, खिलौनों के लिए यह अनिवार्य है कि वे खिलौनों की सुरक्षा के लिए भारतीय मानको के अनुरुप हों और बीआईएस (अनुरुपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची–II की स्कीम–I के अनुसार बीआईएस से लाइसेंस के तहत उन पर मानक चिह्न (आईएसआई चिह्न) हो।

3(ख) इसको ध्यान में रखते हुए, भारत और विदेश दोनों के विनिर्माताओं (अर्थात विदेशी विनिर्माता जो भारत को खिलौना निर्यात करने का इरादा रखते हैं) को बीआईएस से लाईसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, किसी भी व्यक्ति को बीआईएस अधिनियम, 2016 के साथ पठित इस क्यूसीओ के अनुसार बीआईएस मानक चिह्न (आईएसआई चिह्न) के बिना किसी भी खिलौने को बिक्री के लिए विनिर्माण करने, आयात, वितरण, विक्रय, किराया पर लेने, पट्टे पर लेने, संग्रहण अथवा प्रदर्शन का अधिकार नहीं होगा।

3(ग) विकास आयुक्त (डीसी) हथकरघा के साथ पंजीकृत कारीगरों और भौगोलिक संकेतक (जीआई) उत्पादों के अधिकृत उपयोगकर्ताओं के साथ पंजीकृत प्रोपराइटर द्वारा निर्मित और बेचे गए उत्पादों को गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) के अनुप्रयोग से छूट दी गई है।

3(घ) बीआईएस द्वारा 17.12.2020 को विशेष प्रावधान अधिसूचित किए गए थे ताकि एक वर्ष के लिए परीक्षण सुविधा के बिना खिलौने बनाने वाली माइक्रो स्केल इकाइयों को लाइसेंस प्रदान किया जा सके, जिसे इन–हाऊस परीक्षण सुविधा स्थापित किए बिना 3 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है।

3(ड.) दिनांक 27.03.2023 तक, घरेलू खिलौना विनिर्माण इकाइयों को बीआईएस द्वारा 1140 लाइसेंस प्रदान किए गए हैं (गैर–इलेक्ट्रिक खिलौनों–आईएस 9873 (भाग–1): 2019 के लिए 858 और इलेक्ट्रिक खिलौनों–आईएस 15644: 2006 के लिए 282)। विदेशी खिलौना विनिर्माण इकाइयों को भी 36 लाइसेंस प्रदान किए गए हैं (गैर–इलेक्ट्रिक खिलौनों–आईएस 9873 (भाग–1): 2019 के लिए 26 और इलेक्ट्रिक खिलौनों – आईएस 15644: 2006 के लिए 10)

4. सरकार द्वारा खिलौनों का शिक्षण संसाधन के रुप में उपयोग करने; खिलौना डिज़ाइनिंग और विनिर्माण के लिए हैकथॉन और बडी चुनौतियों का आयोजन करने; खिलौनों की गुणवत्ता की निगरानी करने, निम्न स्तरीय और असुरक्षित खिलौनों के आयात को प्रतिबंधित करने'; स्वदेशी खिलौना क्लस्टरों को बढ़ावा देने; मेड इन इंडिया खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय विनिर्माताओं को बढ़ावा देने और खिलौना विनिर्माताओं को प्रोत्साहित करने के माध्यम से भारतीय मूल्यों, संस्कृति और इतिहास के आधार पर खिलौनों की डिज़ाइनिंग को बढ़ावा देने हेतु खिलौनों के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई है।

5. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने पारंपरिक उद्योगों के पंजीकरण के लिए निधि योजना (एसएफयूआरटीआई) के तहत भारत सरकार की ओर से 55.65 करोड़ रुपए की सहायता से 11749 कारीगरों को शामिल करते हुए दिसंबर, 2022 तक 19 खिलौना क्लस्टरों को मंजूरी दी है।

6. वस्त्र मंत्रालय द्वारा खिलौना कारीगरों के समग्र विकास के लिए दिसंबर 2022 तक देश भर में 13 खिलौना क्लस्टरों की पहचान की गई है।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.5504

दिनांक 05 अप्रैल, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्किम्ड मिल्क उत्पादों का निर्यात

5504. श्री कुलदीप राय शर्मा :
डॉ. मनोज राजोरिया :
श्री सुमेधानन्द सरस्वती :
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे :
श्रीमती रंजीता कोली :
डॉ. सुभाष रामराव भामरे :
डॉ.डी.एन.वी.सेंथिलकुमार एस :
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले :
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे :

क्या **वाणिज्य और** उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में शीर्ष स्थान पर है और यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या संयुक्त राज्य अमरीका ने भारत से दूध और कृषि मदों के आयात के लिए अपना बाजार खोल दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश से कितनी मात्रा में स्किम्ड मिल्क पाउडर का निर्यात किया गया है;

(घ)क्या सरकार स्किम्ड मिल्क पाउडर के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) ऐसी सहायता के परिणामस्वरूप स्किम्ड मिल्क पाउडर के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है और सरकार द्वारा दूध संबंधी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) : खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) की सांख्यिकीय पॉकेट बुक 2022 के अनुसार, भारत 2020 में 183.95 मिलियन टन दूध उत्पादन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, जो दुनिया में कुल दूध उत्पादन यानी 886.86 मिलियन टन का 20.74% है।

(ख) : जी हाँ। 2021-22 में यूएसए को दूध और दूध उत्पादों सहित कृषि उत्पादों का निर्यात 5.85 बिलियन अमरीकी डॉलर का था।

(ग): पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश से निर्यात किए गए स्किम्ड मिल्क पाउडर की मात्रा निम्नानुसार है : -

(मात्रा एमटी में और मूल्य मिलियन यूएसडी में)

20-2019		21-2020		22-2021		) *23-2022जनवरी , 2023तक(	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
935.41	2.83	13,457.10	35.80	46,293.10	132.66	16,349.12	62.30

स्रोत: डीजीसीआईएस

(घ) और (ङ): सरकार, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के माध्यम से, दूध और दूध उत्पादों सहित कृषि उत्पादों के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से अपने पंजीकृत निर्यातकों को निम्नलिखित घटकों के अंतर्गत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है:-

(i) निर्यात अवसंरचना का विकास,

(ii) गुणवत्ता विकास, और

(iii) बाजार विकास।

एपीडा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी करने, आभासी व्यापार मेलों, क्रेता-विक्रेता बैठकों, रिवर्स क्रेता विक्रेता बैठकों आदि का आयोजन करने के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ सहयोग कर रहा है।

स्किम्ड मिल्क पाउडर का निर्यात 2020-21 में 35.80 मिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2021-22 में 132.66 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है, जो 270% की वृद्धि है।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.5497

दिनांक 05 अप्रैल, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

एलजीडी बीज

5497 डॉ. जयंत कुमार राय :
श्रीमती संगीता कुमार सिंह देव :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रयोगशाला में निर्मित हीरों (एलजीडी) के बीजों और मशीनों के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए किसी एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को अनुसंधान और विकास अनुदान प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एलजीडी बीजों पर सीमा शुल्क दर की समीक्षा करने का विचार किया है ताकि उत्पादन लागत को कम किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) जी हाँ। आईआईटी मद्रास में इण्डिया सेण्टर ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स की स्थापना के लिए 5 वर्षों में 242.96 करोड़ रुपये के शोध अनुदान को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य आयात निर्भरता को कम करने के लिए एलजीडी कच्चे माल और मशीनरी के स्वदेशी निर्माण के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है।

(ग) और (घ) प्रयोगशाला में निर्मित अपरिष्कृत हीरों के निर्माण में उपयोग के लिए बीजों पर सीमा शुल्क को दो साल की अवधि के लिए 5% से घटाकर "शून्य" कर दिया गया है।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5475

दिनांक 05 अप्रैल, 2023 को उत्तर दिये जाने के लिए

निर्यातित सामग्री को अस्वीकार करना

5475. श्री एस. ज्ञानतिरावियम :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान चाय, फल आदि जैसे खाद्य पदार्थों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है, जिन्हें निर्यात किया गया था लेकिन कीटनाशकों और नाशी-कीटमार के उपयोग के कारण अस्वीकार कर दिया गया ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विदेशों से आयातित खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं की जांच करने और उनकी समुचित लेबलिंग के लिए मानक निर्धारित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) आयातक देशों को मानव, पशु और पादप स्वास्थ्य तथा अपने नागरिकों द्वारा उपभोग किए जाने वाले भोजन की स्वच्छता और सुरक्षा से संबंधित चिंताएं हैं। संरक्षा के उपाय के रूप में, आयातक देश अपने निर्धारित मानदंडों/सुरक्षा मानकों/नियमों/विनियमों का अनुपालन न करने के आधार पर अलग-अलग खेपों को अस्वीकार करने का आश्रय लेते हैं। यह अस्वीकृति विभिन्न कारणों अर्थात कीटनाशक या अन्य रासायनिक अवशेषों की उपस्थिति, अनुचित पैकेजिंग या लेबलिंग, खराब गुणवत्ता आदि से हो सकती है। निर्यात की गई खाद्य वस्तुओं के संबंध में विशेष रूप से कीटनाशकों और नाशीकीटों के उपयोग के कारण, शिकायतों/अस्वीकृति के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी), वाणिज्य विभाग के तहत एक सांविधिक निकाय, और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय पादप संरक्षण संगठन (एनपीपीओ) को यह सुनिश्चित करने के लिए अधिदेशित किया गया है कि खाद्य उत्पादों के निर्यात से पहले आयात करने वाले देशों के स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी और संगरोध मानकों को पूरा किया जाए।

(ग) और (घ) जी, हां। आयातित खाद्य उत्पादों का विनियमन खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और उसके तहत बनाए गए विनियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य उत्पादों के लिए गुणवत्ता, सुरक्षा और लेबलिंग मानक विकसित किए हैं जो आयातित खाद्य पदार्थों के लिए भी लागू होते हैं। आयातित खाद्य पदार्थों के लिए एफएसएसएआई विनियम खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियमन, 2017 के तहत अधिसूचित किए गए हैं।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5461

दिनांक 05 अप्रैल, 2023 को उत्तर दिये जाने के लिए

चीन के साथ व्यापार घाटा

5461. श्री गौरव गोगोई :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2014 के बाद से माल/सेवाओं और चीन के साथ उन वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है, जिनमें भारत को व्यापार घाटा होता है; और

(ख) वर्ष 2014 के बाद से चीन के साथ व्यापार किए गए कुल माल और सेवाओं में से वर्ष-वार कितने प्रतिशत माल और सेवाओं में भारत को चीन के साथ व्यापार घाटा होता है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) जिन प्रमुख वस्तुओं में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा है, वे हैं इलेक्ट्रॉनिक घटक, कंप्यूटर हार्डवेयर और बाह्य उपकरण, दूरसंचार उपकरण, डेयरी के लिए औद्योगिक मशीनरी और जैविक रसायन। प्रमुख वस्तुओं में वर्ष-वार व्यापार घाटे का विवरण अनुबंध-I पर है।

जिन कुछ सेवाओं में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा है उनमें निर्माण, दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं, रखरखाव और मरम्मत सेवाएं और अन्य वाणिज्यिक सेवाएं शामिल हैं। सेवाओं में वर्ष-वार व्यापार घाटे का विवरण अनुबंध- II पर है।

(ख) चीन के साथ व्यापार घाटा प्रदर्शित करने वाली वस्तुओं का कुल व्यापार का हिस्सा 2014-15 में 86.7% था, जो 2021-22 में घटकर चीन के साथ कुल व्यापार का 83.8% हो गया है। इसी तरह, चीन के साथ व्यापार घाटे को प्रदर्शित करने वाली सेवाओं ने 2014 में चीन के साथ कुल व्यापार में 30.3% का योगदान दिया, जो 2019 में घटकर 18.5% हो गया है।

****

अनुबंध -I

प्रमुख वस्तुएँ जिनमें भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा है

(अमरीकी मिलियन डॉलर में मूल्य)

क्र. सं.	मुख्य वस्तु समूह	15-2014	16-2015	17-2016	18-2017	19-2018	20-2019	21-2020	22-2021
1	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनेन्ट्स	1892.71	3431.27	4337.83	5379.02	5693.99	5958.56	6042.41	12777.35
2	कंप्यूटर हार्डवेयर, पेरीफेरल्स	4317.78	4390.89	4055.34	5007.6	3975.11	4168.69	5283.19	8137.58
3	दूरसंचार उपकरण	9177.89	10035.61	11225.03	15428	7279.38	5467.09	6171.82	6455.76
4	डेयरी आदि के लिए औद्योगिक मशीनरी	2521.52	2760.52	2739.7	3278.9	3668.79	3825.08	3733.92	4905.52
5	जैविक रसायन	1856.23	1944.4	1735.13	1371.9	1070.63	1324.19	1988.93	4422.4
6	इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण	1667.04	1774.66	1903.34	2320.04	2067.1	1720.11	2388.14	3099.22
7	उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	2012.93	2193.82	2133.65	2349.46	2081.91	2223.01	2366.73	3053.83
8	रेसिडुलकेमिकल एंड एलाइड प्रोडक्ट्स	1361.14	1312.73	1429.78	1959.51	2252.18	2119.91	2328.99	3033.52
9	निर्मित उर्वरक	3148.68	3261.69	1244.15	1065.1	2043.99	1808.95	1536.38	2941.7
10	बल्क ड्रग्स, ड्रग इंटरमीडिएट्स	1976.94	2007.07	1722.49	1901.93	2231.97	2104.53	2315.6	2872.75
11	इलेक्ट्रिक मशीनरी और उपकरण	1750.4	2073.58	1925.49	2212.65	2342.2	2295.07	2131.54	2850.54
12	प्लास्टिक का कच्चे माल	616.87	562.4	652.89	683.17	302.13	467.09	277.96	2168.79
13	मानव निर्मित यार्न, कपड़े, मेडअप्स	927.82	819.03	762.25	888.63	967.52	1065.26	1123.96	1710.89
14	लोहे और इस्पात के उत्पाद	1310.1	1119.39	1160.95	1409.97	1656.99	1503.11	1252.06	1560.43
15	एसी, प्रशीतन मशीनरी आदि	1064.97	1013.17	1214.29	1609.59	1628.57	1594.95	1228.75	1548.4
16	संचायक और बैटरी	319.33	510.19	607.19	947.54	1016.74	924.77	886.15	1404.67
17	अन्य विविध इंजीनियरिंग आइटम	619.61	690.25	849.29	1006.74	977.12	959.32	873.68	1367.33
18	ऑटो कॉम्पोनेन्ट्स / पार्ट्स	850.93	831.66	798.15	1085.34	1164.65	1058.67	1174.58	1309.86
19	चिकित्सा और वैज्ञानिक उपकरण	313.65	323.91	363.08	469.93	456.38	530.76	684.53	1238.63
20	प्लास्टिक शीट , फिल्म, प्लास्टिक आदि	232.68	265.65	288.41	443.85	701.01	760.52	710.88	1092.65
21	मशीन टूल्स	384.11	405.57	520.94	712.74	805.46	709.95	720.71	1066.35
22	अन्य सामान	607.15	767.76	754.6	1044.04	1052.46	876.42	734.28	931.3
23	क्रेन, लिफ्ट और विंच	419.01	407.34	690.95	668.23	682.53	626.67	516.52	886.14
24	अन्य निर्माण मशीनरी	325.97	339.69	402.84	560.45	696.46	543.36	611.17	833.45
25	अन्य अलौह धातु और उत्पाद	426.72	396.25	441.78	584.57	601.79	570.74	446.32	788.7
26	कांच और कांच के बने पदार्थ	291.54	348.22	434.26	590.1	684.42	670.48	532.68	747.21
27	कृषि रसायन	364.78	271.82	445.12	657.36	623.39	550.6	735.9	724.43
28	अन्य विविध रसायन	442.6	379.64	324.45	398.84	538.53	501.46	608.97	723.72
29	मोल्डेड और एक्सट्रूडेड गुड्स	419.12	471.06	524.51	590.93	518.27	547.36	511.36	704.8
30	पेंट, वार्निश और एलाइड उत्पाद	219.51	212.58	201.06	297.66	342.76	403.09	409.23	693.62

(स्रोत: डीजीसीआईएस)

अनुबंध -II

प्रमुख सेवाएं जिनमें भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा है

(अमरीकी मिलियन डॉलर में मूल्य)

क्र.सं	उत्पाद/क्षेत्र	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
क (क + ख + ग + घ)	वाणिज्यिक सेवाएं	555	389	173	176	-88	-132
क	सामान से संबंधित सेवाएं	-25	-26	-22	-29	-40	-44
क.1	दूसरों के स्वामित्व वाले भौतिक आदानों पर विनिर्माण सेवाएँ	-23	-21	-14	-16	-18	-15
.2	रखरखाव और मरम्मत सेवाएं एनआईई ।	-3	-6	-8	-14	-21	-27
ख	परिवहन	515	463	343	303	256	193
ग	यात्रा	-104	-190	-283	-20	-16	56
घ	अन्य वाणिज्यिक सेवाएं	170	143	134	-78	-289	-337
घ.1	निर्माण	-64	-38	-51	-220	-258	-258
घ.2	बीमा और पेंशन सेवाएं	63	25	10	1	-5	-8
घ.3	वित्तीय सेवाएं	-36	-14	-14	-29	-10	-16
घ.4	बौद्धिक सम्पदा के उपयोग के लिए शुल्क एनआईई।	4	0	0	-12	-15	-18
घ.5	दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	174	66	16	71	-56	-80
घ.6	अन्य व्यावसायिक सेवाएँ	26	104	170	111	57	43
घ.7	व्यक्तिगत, सांस्कृतिक और मनोरंजक सेवाएं	1	-1	1	1	-2	-1
ख	सरकारी सामान और सेवाएं एनआईई।	-9	-8	-13	-25	-23	-21

(नोट: केवल 2019 तक का नवीनतम डेटा विश्व व्यापार संगठन की वेबसाइट पर उपलब्ध है)

(स्रोत: डब्ल्यूटीओ डाटाबेस)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5420

दिनांक 05 अप्रैल, 2023 को उत्तर दिये जाने के लिए
घटिया वस्तुओं का आयात

5420. श्री सु. थिरुनवुक्करासर:
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश में एल्युमीनियम, केबल आइटम और घरेलू उपकरणों जैसे घटिया उत्पादों के बढ़ते आयात की रिपोर्ट की जानकारी है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का घटिया वस्तुओं के आयात को रोकने और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण मानदंडों को कठोर करने का कोई प्रस्ताव है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) सरकार आयातों की गुणवत्ता पर कड़ी नजर रखती है और इसके समाधान के लिए आवधिक रूप से उपाय करती है। भारतीय मानकों का अनुपालन सार्वजनिक हित, मानव, पशु या पादप स्वास्थ्य संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा, अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि के आधार पर बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 16 के प्रावधानों के तहत क्यूसीओ जारी करके अधिदेशित किया जाता है। केंद्र सरकार के विभिन्न सम्बंधित मंत्रालयों/विभागों ने अब तक 462 उत्पादों को कवर करते हुए 114 क्यूसीओ अधिसूचित किये है, जिनमें एल्यूमीनियम फोइल, विभिन्न प्रकार के केबल और घरेलू उपकरण शामिल हैं।

(ग) से (ड.) सरकार का ध्यान देश में गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए उत्पादों को गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) के दायरे में लाने और उपभोक्ताओं को गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करने पर है। तदनुसार, सरकार के विभिन्न सम्बंधित मंत्रालय/विभाग क्यूसीओ के दायरे में और अधिक उत्पादों को लाने के लिए इस पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। क्यूसीओ के तहत किसी उत्पाद को एक बार अधिसूचित करने के बाद, कोई भी व्यक्ति बीआईएस मानक चिह्न के बिना ऐसे किसी भी अधिसूचित उत्पाद का निर्माण, आयात, वितरण, बिक्री, किराया, पट्टा, स्टोर या बिक्री के लिए सिवाय बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 17 के अनुसार बीआईएस से वैध प्रमाणन के प्रदर्शन नहीं कर सकता है। ये आदेश घटिया वस्तुओं के आयात को रोकने में भी मदद करते हैं

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5381

दिनांक 05 अप्रैल, 2023 को उत्तर दिये जाने के लिए
ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौता

5381. डॉ. पोन गौतम सिगामणि:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय व्यापार को सौ बिलियन डॉलर तक बढ़ाने के लिए वर्तमान मुक्त व्यापार समझौते के दायरे को इस वर्ष के अंत तक ले जाने के लिए बातचीत पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते को कार्यान्वित किया है और अब वे व्यापार आर्थिक समझौते के लिए अपने दायरे के बिस्तारण के लिए बातचीत कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत उन महत्वपूर्ण खनिजों के संबंध में आस्ट्रेलिया के साथ विचार –विमर्श कर रहा है जिनका उपयोग विद्युत वाहनों की बैटरियों में किया जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज परियोजनाओं में निवेश की दिशा में कार्य करने में दोनों देशों ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) भारत और आस्ट्रेलिया वर्तमान में व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) पर बातचीत कर रहे हैं जो 02 अप्रैल, 2022 को हस्ताक्षरित भारत-आस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार करार (ईसीटीए) द्वारा रखी गई नींव पर आधारित है। दोनों पक्ष चर्चाओं में तेजी से प्रगति और सीईसीए वार्ता के शीघ्र निष्कर्ष के लिए तत्पर हैं;

(ख) जी हां। भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ईसीटीए) 29.12.2022 से लागू किया गया है। व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) पर बातचीत शुरू हो गई है, और चर्चा का पहला दौर 20-24 फरवरी 2023 के दौरान आयोजित किया गया था

(ग) भारत-आस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार करार (ईसीटीए) का ब्यौरा वाणिज्य विभाग की वेबसाइट पर लिंक https://commerce.gov.in/international-trade/trade-agreements/ind-aus-ecta/ पर

उपलब्ध है। सीईसीए वार्ताओं के संबंध में, ईसीटीए सहमत विषयों अर्थात वस्तुओं और सेवाओं के लिए बाजार पहुंच, उत्पाद विशिष्ट नियम अनुसूची, डिजिटल व्यापार अध्याय और सरकारी खरीद अध्याय पर वार्ताओं के एक दौर 20-24 फरवरी, 2023 के बीच आयोजित किया गया। पारस्परिक हित के नए क्षेत्रों पर अन्वेषणात्मक विचार-विमर्श भी आयोजित किए गए।

(घ) जी हां। खान मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान के अंतर्गत, तीन सीपीएसई अर्थात् नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को), हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) और मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (एमईसीएल) द्वारा प्रवर्तित 'खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड' (केएबीआईएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कम्पनी लिथियम और कोबाल्ट, जिनका उपयोग विद्युत वाहनों के लिए बैटरी में किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण खनिजों पर ऑस्ट्रेलिया के साथ चर्चा कर रहे हैं।

ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण और स्ट्रैटजिक खनिजों के खनन और प्रसंस्करण के क्षेत्र में सहयोग के लिए जून, 2020 में खान मंत्रालय, भारत सरकार और ऑस्ट्रेलिया सरकार के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे।

ऑस्ट्रेलिया की लिथियम और कोबाल्ट खनिज परिसंपत्तियों में संयुक्त यथोचित अध्यवसाय और संयुक्त निवेश करने के लिए केएबीआईएल, भारत और क्रिटिकल मिनरल्स फैसिलिटेशन ऑफिस (सीएमएफओ) (जिसे अब क्रिटिकल मिनरल ऑफिस (सीएमओ) के रूप में जाना जाता है), उद्योग, विज्ञान और संसाधन विभाग (डीआईएसईआर), ऑस्ट्रेलिया के बीच विस्तृत सहयोगी ढांचे के साथ एक अनुवर्ती समझौता ज्ञापन पर 10 मार्च 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे।

(ङ) इस एमओयू के दायरे में, केएबीआईएल और सीएमओ, ऑस्ट्रेलिया दोनों संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया में अभिज्ञात महत्वपूर्ण खनिज अर्थात लिथियम और कोबाल्ट परियोजनाओं में संयुक्त निवेश की दिशा में काम कर रहे हैं।

(च) सीएमओ और केएबीआईएल दोनों निवेश के लिए परियोजनाओं को शॉर्टलिस्ट करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं

****